## न्यायालय कलेक्टर जबलपुर

## न्यायालय अपर कलेक्टर (ग्रामीण) का राजस्व प्रकरण क्र./01/अ–19(3)/2017–18

## संशोधित आदेश

**पारित आदेश दिनांक. ....7/12/2018**

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर द्वारा पत्र क्र. क्यू. दिनांक 03.10.2017 प्रेषित कर जबलपुर जिला अंतर्गत विकास खण्ड कुण्डम में प्रस्तावित छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना में आने वाली वन भूमि 69.55 हे. के बदले ग्राम किवलारी प.ह.नं.18 स्थित खसरा नं.176 रकवा 31.16 हे., खसरा नं. 249 रकवा 40.97 हे. एवं हिरन मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु ग्राम तौरी पटवारी हल्का नं.8 ख.नं.1 रकवा 79.54 हे. भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरण किये जाने की मांग की गई है।

भूमि हस्तांतरण के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी, कुण्डम ने अपना प्रतिवेदन दिनांक 12.10.2017 तहसीलदार कुण्डम के प्रतिवेदन दिनांक 12.10.2017 से सहमत होते हुए प्रेषित किया है। तहसीलदार कुण्डम ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि प्रकरण दर्ज किया जाकर इश्तहार का प्रकाशन किया गया। जिसमें किसी भी व्यक्ति एवं संस्था द्वारा आपत्ति पेश नहीं की गई। तहसीलदार द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम किवलारी स्थित भूमि खसरा नं.175, 249 रकवा क्रमशः 31.16, 40.57 हे. मद शासकीय बड़े झाड़ का जंगल चराई एवं इमारती लकड़ी के लये दर्ज है एवं ग्राम तौरी स्थित खसरा नं.1 रकवा 79.54 हे. भूमि मद शासकीय हस्तांतरित किया जाना उचित होगा। संयुक्त रूप से वन विभाग, राजस्व विभाग एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया गया। संयुक्त मौका निरीक्षण में समस्त विभाग के अधिकारियों द्वारा ग्राम किवलारी प.ह.नं. 18 स्थित भूमि खसरा नं.175, 249 रकवा क्रमशः 31.16, 40.97 हे. एवं ग्राम तौरी स्थित खसरा नं.1 रकवा 79.54 हे. भूमि कुल रकवा 151.67 हे. वनीकरण एवं हस्तांतरण हेतु उपयुक्त पाई गई।

अतः अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए राजस्व पुस्तक परिपत्र के खण्ड चार क्र.1 कंडिका 36 के अनुसार ग्राम किवलारी प.ह.नं.18 स्थित खसरा नं.175 रकवा 31.16 हे. खसरा नं. 249 रकवा 40.97 हे. एवं ग्राम तौरी पटवारी हल्का नं.8 खसरा नं.1 रकवा 79.54 हे. कुल रकवा 151.87 हे. में से 139.10 हे. भूमि वन विभाग को छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना एवं हिरन मध्यम सिंचाई परियोजना के एवज में म.प्र. शासन, वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु निःशुल्क व सशर्त हस्तांतरित की जाती है :–

1. भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं होगा अथवा अनाधिकृत कब्जेदार मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जावेगी।

2. शासन के प्रतिनिधि, अधिकृत व्यक्ति तथा जिला कलेक्टर व उनके अधिकृत प्रतिनिधियों को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन का परीक्षण करने के लिये कभी भी भूमि तथा उस पर निर्मित परिसर के निरीक्षण का अधिकार होगा।

(छवि भारद्वाज)
कलेक्टर, जबलपुर

पृ.क्र. 8717 /प्रवाअ.कले–..../2018 जबलपुर दिनांक 7-12-18

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर।
4. अनुविभागीय अधिकारी, कुण्डम को सूचनार्थ।
5. कार्यपालन यंत्री हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर की ओर उनके पत्र क्र.क्यू. दिनांक 03.10.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ।
6. तहसीलदार कुण्डम को सूचनार्थ उपरोक्त आवंटित भूमि का खसरा पांच साला एवं, नक्शे की प्रति 1 सप्ताह की समय सीमा में इस न्यायालय को उपलब्ध कराये ताकि प्रकरण नस्तीबद्ध किया जा सके।
7. प्रवाचक कलेक्टर, न्यायालय जबलपुर को सूचनार्थ।
8. प्रवाचक, अपर कलेक्टर, प्रथम/द्वितीय जबलपुर को अतिरिक्त प्रति सहित सूचनार्थ।

(छवि भारद्वाज)
कलेक्टर, जबलपुर